

- 1-समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर(ए) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि विभाग के कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों / सेवानैवृत्तिक देय लाभों (यथा ए०सी०पी०/वेतन निर्धारण/पेंशन/ग्रेजुटी/राशिकरण/जी०पी०एफ० आदि) प्रकरणों का निस्तारण समय से नहीं कराया जाता है, जिसके कारण सम्बन्धित कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के निस्तारण न होने की स्थिति में उनके द्वारा मुख्यालय को अनावश्यक रूप से पत्र प्रेषित किये जा रहे हैं, जबकि उक्त कार्यवाही जोन के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के स्तर से ही निस्तारित करायी जानी अपेक्षित होती है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि लम्बित सेवा सम्बन्धी/सेवानैवृत्तिक लाभों के प्रकरणों का परीक्षण करते हुए उनका तत्काल नियमानुसार/संगत नियमों के आलोक में निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

hsh

(सुधा वर्मा)

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रभार-एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी, कमिश्नर(कैम्प) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
- 2- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
- 3- अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त सेवा सम्बन्धी प्रकरणों का तत्काल निस्तारण कराना सुनिश्चित करें।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई०टी०) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
- 5- ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना अराजपत्रित/आई०टी०/संग्रह)वाणिज्य कर, मुख्यालय / जवाहर भवन, लखनऊ।

hsh

07/04/2021

एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रभार-एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।